

हरिभूमि

बिलासपुर भूमि - Page 1

23 July 2025

हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने पेश किया जवाब

बस सेवा का मामला

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अहम माने जाने वाली बस सेवा का संचालन सही ढंग से नहीं होने को लेकर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बैच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शासन से पूछा कि बिलासपुर जिले में कितनी बसें चल रही हैं। मामले में सचिव, परिवहन विभाग और बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने भी शपथ पत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी घार्तजन्मक एग्जिक्यूटिव पाराली तर्फ 2012-

2013 में शुरू की गई थी। कुल 451 बसों 70 शहरों/कस्बों में संचालित करने के लिए खरीदी गई, जिससे 9 शहरी समूह बनते हैं। ये 9 समूह रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा और बस्तर थे। बिलासपुर में 9 बसों में से 6 चालू हालत में हैं और वर्तमान में 5 बस चल रही हैं। एक बस कुछ दिनों में सेवा में आ जाएगी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जल्द उपर्युक्त नार्टिव नार्ट नार्ट के चिर्णेंगा तेजे

हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2025 को तय की है। ध्यान रहे कि पिछली सुनवाई में राज्य का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने बताया था कि डीजल बसों के स्थान पर नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए निविदा मार्च, 2024 में ही बसें शुरू कर दी गई थीं। जिसपर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिलासपुर जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के लिए सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं गई है।